न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट एवं अपीलीय भरण–पोषण न्यायाधिकरण अजमेर
अपील संख्या 71/2022

1. श्री दीपक पुत्र श्री आनन्द कुमार साजनानी उम्र 38 वर्ष निवासी मकान नं0 461/21 शान्ति नगर ट्रोम्बे स्टेशन नवाब का बेडा आदर्श डिग्री कॉलेज अजमेर
2. श्रीमती हर्षिता पत्नि श्री दीपक कुमार साजनानी उम्र 36 वर्ष निवासी मकान नं0 461/21 शान्ति नगर ट्राम्बे स्टेशन नवाब का बेडा आदर्श डिग्री कॉलेज अजमेर

.....अपीलान्ट

बनाम

1. श्री आनन्द कुमार साजनानी पुत्र श्री सन्तुमल साजनानी उम्र लगभग 72 वर्ष निवासी मकान नं0 461/21 शान्ति नगर ट्रोम्बे स्टेशन नवाब का बेडा आदर्श डिग्री कॉलेज अजमेर

.....रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 16 अभिभावको और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 अपील विरूद्ध आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11.2022 अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी एवं भरण पोषण न्यायाधिकरण अजमेर

आदेश दिनांक :– 20.01.2023

अपीलान्ट द्वार यह अपील अधीनस्थ अधिकरण उपखण्ड अधिकारी अजमेर के आदेश दिनांक 16.11.2022, जिसमें "अप्रार्थी (अपीलान्ट) प्रार्थी (रेस्पोडेन्ट) को सम्पत्ति 21/461 आदर्श डिग्री कॉलेज के पास नवाब का बेडा अजमेर को एक माह में खाली करके कब्जा प्रार्थी को सुपुर्द करे'' से असन्तुष्ट होकर इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेन्ट्स को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय से सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट्स स्वयं उपस्थित आये, उपस्थित उभय पक्ष को सुना गया।

अपीलार्थी ने अपील कथनो को दोहराते हुए मुख्यतः कथन किया कि अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील माननीय अधिकरण के समक्ष प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत एक प्रार्थना पत्र जिसमें उसके द्वारा सम्पति संख्या 461/21 शान्ति नगर ट्रोम्बे स्टेशन नवाब का बेडा आदर्श डिग्री कॉलेज अजमेर को अपीलार्थीगण से रिक्त कराने हेतु प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में निर्णय सुनाया गया था। प्रकरण के निर्णय में जो समझाईश समाज कल्याण अधिकारी अजमेर की उपस्थिति में वर्णिय किया गया वह नितान्त असत्य है। प्रकरण में कोई समझाईश नहीं हुई वरन् एक तरफा निर्णय सुनाया गया है। प्रकरण में जो निर्णय पारित किया गया है जो पूर्णतः यह दर्शित करता है कि पीठासीन अधिकारी किसी भी स्तर पर जाकर प्रत्यर्थी के पक्ष में यह निर्णय देना चाहते थे। प्रत्यर्थी उक्त परिसर पर जिसे वह रिक्त कराना चाहता है का मालिक व स्वामी नहीं है अपितु उक्त परिसर उसने पिंकी को पंजिकृत दान पत्र के माध्यम से उपहार स्वरूप दे दिया है उक्त दान पत्र दिनांक 06.10.2021 को उप पंजीयक अजमेर के समक्ष पंजीकृत कराया गया था। वह उक्त तथाकथित दान पत्र के आधार पर उक्त परिसर

अपीलार्थीगण निवास कर रहे है की मालिक है तथा वह मात्र 40 वर्ष की है लिहाजा इस अधिनियम की आड में वह अपने पिता के माध्यम से उक्त परिसर रिक्त कराना चाहती है जो पूर्णतः अधिनियम की मंशाओ के प्रतिकुल व विपरीत है। उक्त तथाकथित सम्पति अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थीगण के दादा/पिता की सम्पति थीं जिसमें अपीलार्थीगण संख्या 01 का पूर्ण हक है उक्त सम्पति प्रत्यर्थी की स्वअर्जित सम्पति की श्रेणी में नहीं आती जिसे वह इस अधिनियम के माध्यम से रिक्त कराकर कब्जा ले सके । प्रत्यर्थी द्वारा जो जवाब उल जवाब प्रस्तुत किया गया था उसकी कॉपी भी अपीलार्थीगण को ही दिलाई गई जो यह स्पष्ट इंगित करता है कि अधिकरण किसी भी तरह निर्णय प्रत्यर्थी के पक्ष में करना चाहता था। प्रकरण में जो निर्णय व समझाईश की बात लिखी गई है ऐसी कोई समझाईश समाज कल्याण अधिकारी की मौजूदगी में कभी नही हुई है उक्त बात निर्णय में पूर्णत गलत लिखी गई है बल्कि निर्णय से पहले ही उन्हें उक्त सम्पति रिक्त करने के लिये कह दिया था जो स्पष्ट दर्शित करता है कि अधिकरण पूर्णतः प्रत्यर्थी के पक्ष में ही निर्णय देने के लिये आमदा था। अधिकरण द्वारा मात्र प्रत्यर्थी के जवाब उल जवाब के आधार पर कि प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी संख्या 01 को समय समय पर लगभग 20 लाख रूपये उधार दिये किन्तु उक्त रकम दिये जाने का कोई साक्ष्य अभिलेख पर मौजूद नहीं है मात्र लिखने के आधार उसका लिखा जाना उसको प्रमाणित नहीं बनाता है जबकि अपीलार्थी संख्या 01 द्वारा अपनी बहन पिंकी के विरूद्ध न्यायालय विशिष्ट न्यायाधीश (परक्राम्य विलेख अधिनियम) संख्या 01 में एक 30 लाख के चैक का प्रकरण कर रखा है जिसमें उसकी बहन के सम्मन निकले हुये है उक्त प्रकरण से बचने के लिये दबाव बनाने के लिये यह झूठा प्रकरण प्रस्तुत करवाया गया है। अधिकरण द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र तथा जवाब उल जवाब के विषय में लिखा तो है किन्तु अपना निर्णय अधिकरण द्वारा किन आधारों पर दिया है इस हेतु कुछ भी विस्तृत रूप से नहीं लिखा है मात्र यह आधार कि मनोहर लाल द्वारा आनन्द कुमार को यह सम्पति उपहार में दी तथा आनन्द कुमार सीनियर सीटीजन है इसलिये आनन्द कुमार के पक्ष में निर्णय दिया जाता है बडा ही विसगंति पूर्ण है। अधिकरण द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के विपरित जाकर यह निर्णय दिया गया है जो पूर्णत अविधिक है किसी भी विधि को बनाने की विधायिका की यह मंशा रहती है कि जो भी विधि बनाई गई है वह उन लोगो के लिये लाभकारी हो जिन्हे उनकी जरूरत है किन्तु किसी अन्य के अधिकारो को मारकर निर्णय देना कभी विधायिका की मंशा नहीं रही है यहा प्रत्यर्थी अपने सीनियर सीटीजन होने का फायदा उठाते हुये न्यायालय को गुमराह कर अपने पक्ष में निर्णय करवा रहा है जो वह कभी भी इस अधिनियम की मंशा नही रही है। अपितु इस प्रकरण में प्रत्यर्थी के विरूद्ध अधिकरण के समक्ष महत्वपूर्ण तथ्य छुपाते हुए गलत तथ्यों के आधार पर अपने पक्ष में फैसला करवाने के लिये दाण्डिक कार्यवाही होनी चाहिये। अतः निवेदन है कि अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर पीठासीन अधिकारी भरण पोषण अधिकरण का आदेश दिनांक 16.11.2022 अपास्त करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

रेस्पोडेन्ट ने आपत्तियां प्रस्तुत की गई जिसकी प्रति अपीलार्थीगण ने प्राप्त की। रेस्पोडेन्ट ने अपील कथनो को सिरे से नकारते हुए कथन किया कि अपीलार्थी की ओर प्रथम दृष्टया कानून के प्रावधानो के विपरीत होने के कारण चलने योग्य नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। सम्पत्ति जो कि ए.एम.सी. नं0 22/153 = 21/461 = 31/564 का एक भाग है जो कि वाकै शांति नगर ट्राम्बे स्टेशन नवाब का बेडा आदर्श डिग्री कॉलेज के पास अजमेर में स्थित है जो कि प्रत्यर्थी को विधिवत गिफ्ट डीड के जरिये दिनांक 18.01.2019 को प्राप्त हुई जिसका एक

मात्र मालिक व स्वामी प्रत्यर्थी ही आज दिनांक तक है जिसके बिल भी प्रत्यर्थी के नाम आ रहे है ऐसी स्थिति में उक्त अपील प्रांरभिक स्तर पर पोषणीय नहीं है और खारिज किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के विरूद्ध एक दीवानी वाद संख्या 40/16 उनवान आनंद कुमार बनाम दीपक व अन्य पेश किया गया था जिसमें भी मात्र पुत्र व पुत्रवधु को रहने की अनुमति के लिए दिया था जिसमें भी प्रत्यर्थी व अपीलार्थी के मध्य राजीनामा इस शर्त पर हुआ कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी के मालिकाना हक व अधिकार को चुनौती नहीं देंगे ऐसी स्थिति मे राजीनामे की पालना भी नहीं किये जाने से अपील प्रांरभिक स्तर पर खारिज किये जाने योग्य है। अपीलार्थी द्वारा जिस गिफ्ड डीड दिनांक 06.10.2021 के आधार पर तथ्यों को पेश करते हुए अपील पेश की गयी है उक्त सम्पत्ति एवं प्रत्यर्थी की सम्पत्ति अलग अलग है तथ्यों को गुमराह करते हुए उक्त अपील पेश किये जाने से अपील चलने योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमावे।

हमने उपस्थित उभय पक्ष को सुना, अपील तथ्यों एवं रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन मनन किया। अपीलार्थी का मुख्यतः कथन है कि जिस सम्पत्ति में निवास कर रहे है वह सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी पुत्री पिंकी को दिनांक 06.10.2021 को उप पंजियक अजमेर के समक्ष पंजिकृत कराई जाकर उपहार स्वरूप दे दी गई है, मालिकान हक रेस्पोडेन्ट की पुत्री के नाम है। रेस्पोडेन्ट का कथन है कि जिस सम्पत्ति में अपीलार्थी निवास कर रहा है और उसका बिजली का बिल भर रहा है वह सम्पत्ति रेस्पोडेन्ट को उसके भाई द्वारा उपहार स्वरूप दी गई है जिसका बेचान/हस्तान्तरण किसी भी माध्यम से रेस्पोडेन्ट द्वारा नही किया जाना व्यक्त किया गया । अतः पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि जिस परिसर में रेस्पोडेन्ट निवास कर रहे है उसी परिसर में अपीलार्थी निवास कर रहे है, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि अनुसार साक्ष्य सुनवाई पश्चात निर्णय पारित किया गया है, उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 16.11.2022 न्यायोचित प्रतीत होता है। इसमें किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है। अतः अधीनस्थ अधिकरण एवं उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के आक्षेपित आदेश दिनांक 16.11.2022 को यथावत रखे जाने का आदेश दिया जाता है। अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 20.01.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अशं दीप)
जिला मजिस्ट्रेट एवं पीठासीन अधिकारी
अपीलीय भरण पोषण न्यायाधिकरण
अजमेर